न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, सीकर

पीठासीन अधिकारी – बृजेश कुमार (आर.ए.एस.)

वाद संख्या 116/2018 (जीसीएमएस नं0 00250)

1. भोलाराम पुत्र पोखरमल
2. रुडाराम पुत्र पोखरमल
3. दीपचन्द पुत्र पोखरमल
4. गणपतराम पुत्र पोखरमल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी बावता की तन ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– वादीगण

बनाम

1. नृसिंह पुत्र भगवाना जाति गुर्जर निवासी ढ़ाणी बावता की तन ग्राम छापर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)
2. भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा एवं दुरुस्ती इन्द्राज

उपस्थित :–

1. श्री शम्भूदयाल अग्रवाल एडवोकेट वादीगण
2. श्री पवन कुमार सैनी एडवोकेट प्रतिवादी 1

निर्णय

दिनांक –08.02.2021

वाद वादीगण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम छापर में जमीन ख. नं. 154 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा लगानी 9 रूपये 74 पैसे के नये ख. नं. 454 रकबा 2.59 है0 है। की उक्त जमीन के 1/2 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम से पूर्व में चली आ रही है। एवं 1/2 हिस्से की खातेदारी मांगु पुत्र रामनाथ के नाम से थी। मांगु 1/2 हिस्से के खातेदार ने दिनांक 17.08.83 को 5000/– रूपये वादीगण एवं [illegible] स. 1 से प्राप्त कर विक्रय कर बैनामा पंजीकृत करा दिया तथा इस बैनामा के आधार पर [illegible] के 1/2 हिस्से की जमीन अर्थात 5 बीघा 2 बिस्वा जिसके नये ख. नं. 154 रकबा 2.59 है0 में मांगु के 1/2 हिस्से में 1.045 है0 जमीन विकय की गयी। मांगु द्वारा विकय की गया 1/2 हिस्से की जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

में वादीगण का 4/10 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/10 हिस्सा आता हैं। तथा इसी कदर पक्षकारान अलग रूप से अपने अपने हिस्से की जमीन को काश्त करते आ रहे हैं और काबिज जमीन हैं। पटवारी हल्का ने सन् 2007 में गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्से में से 1/2 नामान्तकरण जमाबन्दी में दुरूस्ती कर दी जबकि मांगु द्वारा 5 व्यक्ति वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को बराबर 5 हिस्से में अपने 1/2 हिस्से की जमीन विक्रय की थी। बैनामा के विपरीत पटवार हल्का द्वारा वादीगण का 1/2 हिस्से में 1/2 हिस्सा कर दिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा कर दिया जो पूर्णतय गलत है जबकि वादीगण 1/2 हिस्से में 4/10 हिस्से की जमीन को काश्त करते है एवं प्रतिवादी संख्या 1, 1/10 हिस्से की जमीन पर काबिज हैं। पटवारी हल्का को बैनामा के विपरित इन्द्राजात करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। जबकि इन्तकाल संख्या 244 ग्राम छापर बैनामा के आधार पर इसी कदर स्वीकार किया गया हैं। लेकिन पटवारी हल्का ने जमाबन्दी में वादीगण का प्रतिवादीगण संख्या 1 का हिस्सा बिना अधिकार गलत दर्ज कर दिया तथा वादीगण घोषित कराने के अधिकारी हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसी कदर दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं। गलत इन्द्राज करने व इसके दुरूस्त करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास बार बार जाने पर आश्वासन देकर 15 योम पूर्व दुरूस्ती करने से इंकार कर दिया। जिसे दुरूस्त कराने के वादीगण अधिकारी हैं। वियानदावा पटवारी हल्का द्वारा सन् 2007 में इन्तकाल संख्या 244 के विपरीत प्रतिवादी संख्या के हक में 1/2 हिस्सा में 1/2 हिस्सा गलत दर्ज करने में तथा पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर वादीगण द्वारा न्यायालय वाद पत्र प्रस्तुत हुआ

वाद वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी 1 ने जबाब दावा पेश कर वादपत्र स्वीकार करने का ... किया। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी 1 तथा वादीगण द्वारा राजीनामा ... का पेश ... कि पक्षकारान वादीगण तथा प्रतिवादी ने वादग्रस्त ... उन्होने आपस में मिल बैठकर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा अनुसार कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:37 IST
Reason: SelfAttested

(ब्रजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

रा नंबर ख. नं. 154 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा राजस्व ग्राम छापर पटवार मण्डल बासडी
में वादीगण का 5/6 हिस्सा एवं प्रतिवादी नृसिंह का 1/6 हिस्सा रहेगा। अतः राजीनामा
त कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा वाद पत्र वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री
माया जावे। प्रस्तुत राजीनामा बाद तस्दीक स्वीकार किया गया। वादपत्र के समर्थन में वादी
या 2 रुड़ाराम, वादी संख्या 4 गणपत, वादी संख्या 3 दीपचन्द, ने शपथ पत्र मुख्य परीक्षण
साक्ष्य वादीगण का शपथ पत्र पेश किया। वकील वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
ाद की इस्तदुआ की खण्ड क में पुराने खसरा नं0 154 के नये खसरा नं0 256,267,268
किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 संशोधित करने का कथन किया तथा नवीन जमाबन्दी,
न क्षेत्रफल पेश किया।

उभय पक्ष सुनी गयी। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रस्तुत राजीनामा,
एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गय, बहस पर मनन किया गया। अवलोकन से
स्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी 1 द्वारा जरिये विक्रय पत्र बहिस्सा बराबर खरीद
एवं विक्रय पत्र अनुसार ही नामान्तरकरण दर्ज होना, तथा तत्पश्चात जमाबन्दी में अमल
करते समय सहवन से वादीगण के 1/2 एवं प्रतिवादीगण के 1/2 हिस्सा दर्ज होना
होता है। वर्तमान जमाबन्दी संवत 2075–78 में पुराने खसरा नं0 154 के नये खसरा नं0
67,268 कुल किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 की खातेदारी वादीगण 1 लगायत 4 के
के 1/24 हिस्सा तथा प्रतिवादी 1 के 1/6 हिस्सा दर्ज है। पक्षकारान के मध्य इस
का राजीनामा हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी के मध्य
बराबर खातेदारी दर्ज कर दी जावे। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 3
के प्रावधानों **Compromise of suit.** - Where it is proved to the satisfaction of the
that a suit has been adjusted wholly or in part by any lawful agreement or
omise [in writing and signed by the parties] or where the defendant satisfied the
f in respect of the whole or any part of the subject-matter of the suit, the Court
rder such agreement, compromise satisfaction to be recorded, and shall pass a
is accordance therewith [so far as it relates to the parties to the suit, whether or
subject-matter of the agreement, compromise or satisfaction is the same as the

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:37 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

ubject-matter of the suit:] के अनुसार राजीनामा के आधार पर वादपत्र डिक्री किया जाना ायोचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण बरूये राजीनाम डिक्री किया जाता तथा पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा के आधार पर राजस्व ग्राम छापर पटवार मण्डल सडी खुर्द तहसील नीमकाथाना स्थित कृषि पुराने खसरा नं0 154 के नये खसरा नं0 256, 7, 268 कुल किता 3 कुल रकबा 2.59 है0 में प्रतिवादी संख्या 1 के दर्ज 1/6 हिस्सा के ान पर 1/15 हिस्सा तथा प्रत्येक वादीगण 1 ता 4 दर्ज 1/24 हिस्सा के स्थान पर 15 हिस्सा दुरुस्त किया जाकर खातेदार घोषित किये जाते है। शेष इन्द्राजात बदस्तूर । तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में ल दरामद करें। उक्त आदेशानुसार पर्चा डिक्री मुर्तीब हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijesh Kumar
Date: 2021.02.25 12:28:37 IST
Reason: SelfAttested